फर्द अहकाम

उपखण्ड अधिकारी
सांगानेर जयपुर (द्वितीय) मदन बनाम छोटा वगै0

प्रार्थना पत्र संख्या: 180/2012

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03.06.2024	वादी ने वाद पत्र बाबत् बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 183, 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया। वादी ने वाद पत्र में अनुतोष चाहा है कि वाद पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत बेदखली डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2082/1, 2083/1, 2084/1 कुल किता 3 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर जो नक्शे में हरा रंग दर्शाया गया प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को बेदखल कर वादी को प्रतिवादीगण संख्या 6 को हिस्सा 1/2 का कब्जा दिलवाया जावे। वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की डिकी फरमाया जावे कि वादी की खातेदारी वादग्रस्त आराजी जो नक्शे में हरा रंग दर्शित है को किसी भी प्रकार खुर्द बुर्द ना करे, ना ही उपयोग उपभोग बाधा नहीं डाले, न ही स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट से कराये। वाद दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वादी उपस्थित, प्रतिवादीगण अनुपस्थित। बहस वादी सुनी गई। दौराने बहस वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया कि वाद पत्र वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण बाबत बेदखली डिकी किया जाकर प्रतिवादीगण को वादी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2082/1, 2083/1, 2084/1 कुल किता 3 कुल रकबा 0.27 हैक्टेयर जो नक्शे में हरा रंग दर्शाया गया प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को बेदखल कर वादी को प्रतिवादीगण संख्या 6 को हिस्सा 1/2 का कब्जा दिलवाया जावे। वादी का वाद पत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की डिकी फरमाया जावे कि वादी की खातेदारी वादग्रस्त आराजी जो नक्शे में हरा रंग दर्शित है को किसी भी प्रकार खुर्द बुर्द ना करे, ना ही उपयोग उपभोग बाधा नहीं डाले, न ही स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट से कराये। बहस वादी, पत्रावली एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया कि वादी ने वर्तमान जमाबन्दी पेश कर यह साबित नही किया है कि उसका खाता अलग कौनसा है। उस खाते की जमाबन्दी की नकल के अभाव यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि वादी की पृथक खातेदारी की खसरा नम्बरान् 2082/1, 2083/1, 2084/1 की वर्तमान में क्या स्थिति है। नक्शा ट्रेस वर्तमान भी वादी ने नही पेश किया है। इसलिए वाद साबित करने के लिए प्रर्याप्त सबूत पत्रावली में नही है। इसलिए वाद वादी साबित नही होने पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 03.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। Signature Not Verified Digitally signed by Himmat Singh Date: 2024.09.06 13:57:42 IST Reason: SelfAttested (हिम्मत सिंह) आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी जयपुर-द्वितीय (सांगानेर), जयपुर	